रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.—33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 47] दिल्ली, मंगलवार, मार्च 23, 2010/चैत्र 2, 1932 [रा.रा.रा.क्षे. दि. सं. 343

No. 47] DELHI, TUESDAY, MARCH 23, 2010/CHAITRA 2, 1932 [N.C.T.D. No. 343

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 23 मार्च, 2010

सं. फा. 3(9)/परि./परिवहन/2010/604.—माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के निर्देश के अनुसरण में 2007 की रिट याचिका (सिविल) सं. 4572 तथा 2009 की रिट याचिका (सिविल) सं. 8580 में राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली के लिए एक विशेष कार्यबल का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

1.	श्री राकेश मेहता, मुख्य सचिव, दिल्ली	—अध्यक्ष
2.	श्री आर. के. वर्मा, सचिव एवं आयुक्त (परिवहन)	—सदस्य-सचिव
3.	श्री सुवाशीष चौधरी, डीसीपी (यातायात)	—सदस्य
4.	श्री बी.के. जैन, अतिरिक्त आयुक्त (योजना) दिल्ली विकास प्राधिकरण	—सदस्य
5.	प्रो. एन. रंगनाथन, परामर्शदाता, सीईएस, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	—सदस्य
6.	श्री डी.के. मल्होत्रा, अध्यक्ष, एएआई	—सदस्य
7.	सुश्री गीतम तिवारी, एसोसिएट प्रोफेसर, आईआईटी दिल्ली	—सदस्य
8.	सुश्री सुनीता नारायण, निदेशक, विज्ञान एवं पर्यावरण केन्द्र	—सदस्य
9.	सुश्री मधु किसवर, मानुषी	—सदस्य
10.	सुश्री प्रोमिता राय, प्रतिनिधि यूटीटीआईपीईसी	—सदस्य
11.	श्री प्रदीप सचदेवा, वास्तुविद् एवं शहरी योजनाकार	—सदस्य

विशेष कार्यबल के विचारणीय विषय निम्नानुसार होंगे :—

(क) भीड़भाड़ को कम करने, प्रदूषण घटाने तथा मोटर रहित परिवहन सहित सड़क पर चलने वाले समस्त श्रेणी के वाहनों तक एक समान पहुँच सुनिश्चित करने की दृष्टि से दिल्ली में सड़क यातायात से संबंधित समस्त मामलों का पता लगाना।

(ख) यातायात प्रवाह, वाहनों के पंजीकरण, वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध (समस्त श्रेणी के वाहन-भारी, हल्के, निजी मोटर रहित) से संबंधित समस्त पहलुओं की समीक्षा।

(ग) सार्वजनिक परिवहन तथा यातायात प्रवाह से संबंधित विनियामक उपायों तथा समस्त विद्यमान नीतियों की समीक्षा करना तथा विचार करना, उपरोक्त मामलों पर सिफारिशें करना जिसमें समस्त प्रकार के वाहनों तक एक समान पहुँच सम्मिलित है, पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव को न्यूनतम करना तथा यातायात का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करना।

(घ) उपरोक्त के संदर्भ में आंतरिक रिपोर्ट तैयार करना तथा किसी नई पद्धति या नीति पर उदारतापूर्वक विचार करने के लिए प्रमुख परियोजनाओं की सिफारिश करना।

कार्यबल किसी व्यापक दृष्टिकोण को अपनाने के लिये उन सभी इच्छुक पक्षों के सुझावों पर विचार करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि वह अपने विचार अधिक से अधिक जनता के समक्ष रखेगा और अपने प्रस्तावों संबंधी विचार तथा आपत्तियां आमंत्रित करेगा तथा यदि आवश्यक हो, तो वह किसी नई नीति या अग्रणी परियोजना प्रारंभ करने संबंधी संस्तुति करने या प्रतिवेदनों को अन्तिम रूप देने से पहले इच्छुक व्यक्तियों, पक्षकार या पक्षकारों को सुना जा सकता है।

कोई प्रस्ताव जिसे दिल्ली सरकार या दिल्ली नगर निगम या कोई अन्य स्थानीय प्राधिकरण या अभिकरण लागू करने को इच्छुक है, उसे सूचनार्थ एवं टिप्पणियों के लिये कार्यबल के माध्यम से जनसाधारण के लिये अधिसूचित किया जाएगा तथा कार्यबल द्वारा उस पर विचार करने के उपरांत ही प्रस्ताव को क्रियान्वित किया जायेगा। ऐसा करते समय सभी संबंधित पक्षों को यथोचित समय दिया जाएगा।

कार्यबल किसी अन्य विशेषज्ञ व्यक्ति को सदस्य के रूप में अपने साथ ले सकता है या किसी अन्य विशेषज्ञ संगठन या अभिकरण या प्रतिष्ठान की सहायता प्राप्त कर सकता है।

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
आर. के. वर्मा, सचिव एवं आयुक्त

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 23rd March, 2010

No. F. 3(9)/Proj./Tpt./2010/604.—In pursuance of the direction of the Hon'ble High Court of Delhi in a Writ Petition (Civil) No. 4572 of 2007 and Writ Petition (Civil) No. 8580 of 2009, the Government of NCT of Delhi hereby constitutes a Special Task Force for the National Capital Territory with the following members :—

1. Sh. Rakesh Mehta, Chief Secretary, Delhi —Chairman
2. Sh. R. K. Verma, Secy.-cum-Commissioner (Tpt.) —Member-Secretary
3. Sh. Suvashish Choudhary, DCP (Traffic) —Member
4. Sh. B. K. Jain, Addl. Commr. (Plg.), DDA —Member
5. Prof. N. Ranganathan, Consultant, CES, India Pvt. Ltd. —Member
6. Sh. T. K. Malhotra, President, AAI —Member
7. Ms. Gitam Tewari, Associate Professor, IIT Delhi —Member
8. Ms. Sunita Narain, Director, Center for Science & Environment —Member
9. Ms. Madhu Kishwar, Manushi —Member
10. Ms. Paromita Roy (UTTIPEC) —Member
11. Sh. Pradeep Sachdeva, Architect & Urban Planner —Member

The terms of reference of the Special Task Force shall be as follows :—

(a) Explore all issues related to road traffic in Delhi with a view to minimize congestion, reduce pollution and ensure equitable access to all the classes of vehicles that ply on the roads, including non-motorized transport.

(b) Review all aspects related to traffic flow, registration of vehicles, restriction of vehicular movements (all classes of vehicles - heavy, light, private non-motorized).

(c) Review and consider all existing policies and regulatory measures related to public transport and traffic flow, make recommendations on the above matters including promoting equitable access to all kinds of vehicles, minimizing harmful impact on environment and ensuring smooth flow of traffic.

(d) In the light of above make interim reports and recommend pilot projects to consider feasibility on any new practice or policy.

The Task Force shall consider the views of all those interested in presenting them, with a view to take a broader perspective, and to ensure that it shall place its views in the public domain and invite views and objections on its proposals and may, if considered necessary, hear interested persons, party or parties before making recommendation or finalizing reports with regard to any new policy or undertaking pilot projects.

Any proposal which the Govt. of NCT or the MCD or any other Local Authority or Agency wishes to implements shall be notified to the general public through the task force for information and comments and only after the same has been considered by the task force, the proposal shall be implemented. While doing so reasonable time shall be granted to all concerned.

The Task Force may co-opt any other expert person as member or may seek assistance of any other expert organization, agency or undertaking.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi,
R. K. VERMA, Secy.-cum-Commissioner

महिला एवं बाल विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 23 मार्च, 2010

सं. फा. 61/95/पी.ओ.एस./ए.डी.-1/डी.डब्ल्यू.सी.डी./2009/42098-121.—किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा) अधिनियम, (2000 का 56) की धारा 66 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एफ-61(2)/डी.ओ.-1/डी.एस.डब्ल्यू./2001/2832-2891,

दिनांक 26-3-2003 के अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सरकारी अधिसूचना सं. एफ-61(2)/डी.ओ.-I/डी.एस.डब्ल्यू./2002/30923-966, दिनांक 5-12-2006, तथा एफ-61 (एन.ओ.एच.)/डी.ओ.-I/डी.एस.डब्ल्यू./2002/70-121, दिनांक 4-4-2007 के क्रमानुसार मैं, राजीव काले, निदेशक, महिला एवं बाल कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों को रखने के लिए धारा 12(3) और धारा 8(1) के अन्तर्गत निम्नलिखित गृह घोषित करता हूँ :-

क्र.सं.	बिल्डिंग का नाम	घोषित अनुसार ,	क्षमता
1.	मध्य भाग 1, मेगजीन रोड, दिल्ली	प्लेस ऑफ सेफ्टी, 1-मेगजीन रोड, दिल्ली	30
2.	बिल्डिंग का दाहिना भाग, 1-मेगजीन रोड, दिल्ली	एनेक्सी ऑफ आधारशीला बाल निरीक्षण गृह-द्वितीय सेवा कुटीर कॉम्प्लैक्स	10

यह व्यवस्था अस्थायी रूप से रहेगी जब तक कि बाल निरीक्षण गृह-द्वितीय सेवा कुटीर कॉम्प्लैक्स का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो जाता ।

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर,

राजीव काले, निदेशक

DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 23rd March, 2010

No. F. 61/95/POS/AD-I/DWCD/2009/42098-121.—In continuation of notification No. F. 61 (2) DO-I/DSW/2002/30923-966, dated 5th December, 2006 and F. 61 (NOH) DO-I/DSW/2002/70-121, dated 4-4-2007 and in pursuance of the power delegated *vide* Notification No. F. 61(2)/DO-I/DSW/2001/2832-2891, dated 26th March, 2003, under Section 66 of Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, (56 of 2000), I, Rajiv Kale, Director, Women and Child Development, Government of National Capital Territory of Delhi, hereby declare the following for the purpose of Sections 12(3) and 8(1) respectively of the aforesaid Act for accommodating juveniles in conflict with law.

S. No.	Name of Building	Declared as	No. of Inmates
1.	Middle Portion of 1-Magazine Road, Delhi	Place of Safety, 1-Magazine Road, Delhi	30
2.	Right Portion of Building, 1-Magazine Road, Delhi	Annexe of Adharshila, Observation Home for Boys-II, Sewa Kutir Complex	10

This will be a temporary arrangement till the proposed modification in OHB-II, Sewa Kutir are completed.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

RAJIV KALE, Director

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.